

प्रेषक,

यशवंत कुमार सरोज,
अपर जनपद न्यायाधीश,
जनपद ललितपुर।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
जनपद ललितपुर।

विषय – पूर्व सेवाकाल को वर्तमान सेवाकाल से जोड़े जाने के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मैं वर्तमान में अपर जनपद न्यायाधीश / सचिव के पद पर जनपद ललितपुर में कार्यरत हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 17-04-20210 को सिविल जज (जू०डि०) के पद पर जनपद लखनऊ में कार्यभार ग्रहण किया था। इस सेवा के पूर्व मैंने लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) परीक्षा 2004 में उपनिबंधक पद पर अंतिम चयन उपरान्त महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के नियुक्ति आदेश संख्या 1091/तीनए-425(अधि०-2004)/08 दिनांक 10-07-2008 के अनुपालन में दिनांक 16-07-2008 को जनपद रायबरेली में पदभार ग्रहण किया। जहां से विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त कर महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश संख्या 1950(1-6)/तीनए-425/08 दिनांक 04-09-2008 के द्वारा उपनिबंधक शाहाबाद, जनपद हरदोई के पद पर नियुक्त होने के अनुपालन में दिनांक 09-09-2008 को मुक्त किया गया। तत्पश्चात दिनांक 10-09-2008 को मैंने उपरोक्त आदेश के अनुपालन में अपनी योगदान आख्या सहायक महानिरीक्षक निबन्धन हरदोई के समक्ष प्रस्तुत कर उनकी अनुमति के पश्चात दिनांक 10-09-2008 को ही उपनिबंधक शाहाबाद, जनपद हरदोई के पद का कार्यभार ग्रहण किया। **ससम्मान यह भी अवगत कराना है कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) परीक्षा 2004 की विज्ञापन तिथि 15 मई, 2004 थी।**

पी०सी०एस०(जे०) 2006 परीक्षा में अंतिम चयन उपरान्त निर्गत शासकीय विज्ञप्ति नियुक्ति संख्या - 4541/II-4-09-32(1)/2008 दिनांक 09-02-2010 द्वारा मेरी नियुक्ति सिविल जज (जू०डि०) के पद पर हुयी। उक्त के अनुपालन में मेरे द्वारा दिनांक 18-03-2010 को महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पत्र प्रेषित कर स्वयं को उपनिबंधक शाहाबाद, हरदोई के पद से कार्यमुक्त (रिलीव) किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। तत्पश्चात कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश संख्या - 1742(1-9)/तीन ए-425(मु०) दिनांक 13-04-2010 द्वारा कार्यभार छोड़ने की तिथि से कार्यमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 16-04-2010 को मेरे द्वारा उपनिबंधक शाहाबाद, हरदोई का कार्यभार छोड़ दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन संख्या 145/AR(S)/2010 दिनांक 11-03-2010 द्वारा मुझे सिविल जज (जू०डि०), लखनऊ के पद पर नियुक्त

किया गया तथा कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 17-04-2010 को मेरे द्वारा जनपद लखनऊ में सिविल जज (जू०डि०) के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 10219/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) दिनांकित 29-07-2024 के अनुपालन में तथा शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने के संबंध में मैंने पूर्व सेवा के विभागाध्यक्ष महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश, (शिविर कार्यालय लखनऊ) को पत्र मय विकल्प पत्र प्रेषित किया है, जिनकी संस्तुति / सहमति प्रदान होने पर एवं अग्रेतर कार्यवाही उपरान्त प्रार्थी पूर्व सेवा में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित हो जायेगा। पूर्व सेवा काल के वर्तमान सेवा काल से जुड़ने पर प्रार्थी वर्तमान सेवा में भी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित हो सकेगा।

सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये सेवाओं को जोड़े जाने संबंधित वित्त (सामान्य) अनुभाग - 3 लखनऊ के शासनादेश संख्या 17/2019/सा-3-346/दस-2019-933/89 दिनांक 30-04-2019 से संबंधित प्रपत्र (मूल) तथा समस्त अन्य प्रपत्रों की छायाप्रति एवं पूर्व सेवा की सेवा पुस्तिका की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है। आवेदक की पूर्व सेवा की मूल सेवा पुस्तिका कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, हरदोई में है।

अतः विनम्र निवेदन है कि मेरे पूर्व सेवाकाल की अवधि को सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये वर्तमान सेवाकाल से जोड़े जाने हेतु पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष सादर रखने की कृपा करें।

सादर,

दिनांक : 31-07-2024

भवदीय

संलग्नक : (1). शासनादेश दिनांक 30.04.2019 से संबंधित प्रपत्र (मूल) ।

- (2). समस्त प्रपत्रों की छायाप्रतियां।
- (3). पूर्व सेवा की सेवा पुस्तिका की छायाप्रति।
- (4). महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश,
(शिविर कार्यालय, लखनऊ) को प्रेषित
पत्र मय विकल्प पत्र की छायाप्रति।

Yashwant Kumar Seroj
31/7/24

(यशवंत कुमार सरोज)

अपर जनपद न्यायाधीश,

ललितपुर।

आई.डी. संख्या - यू.पी.1870

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, ललितपुर

पत्रांक - 1300/1

ललितपुर

दिनांक - 31 जुलाई, 2024

अग्रसारित

जनपद न्यायाधीश, ललितपुर
District Judge
Lalitpur

संलग्नक

1- वर्तमान सेवा का विवरण	
(1) कर्मचारी का नाम	यशवंत कुमार सरोज
(2) पदनाम एवं वेतनमान	अपर जनपद न्यायाधीश, 144840 – 194660 लेवल जे-5
(3) कार्यालय / विभाग का नाम	जनपद न्यायालय / न्याय विभाग (उत्तर प्रदेश)
(4) जन्म तिथि	21.03.1979
(5) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	17.04.2010
(6) नियुक्ति प्राधिकारी	उत्तर प्रदेश सरकार
(7) नियुक्ति पत्र की संख्या एवं दिनांक	उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-4 संख्या 4541/दो-4-09-32(1)/2008 लखनऊ, दिनांक 09 फरवरी, 2010 तथा माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन संख्या 145/AR(S)/2010 दिनांक 11 मार्च 2010
(8) अधिवर्षता की तिथि	31.03.2039
2- पूर्व सेवा का विवरण	
(9) कर्मचारी का नाम	यशवंत कुमार सरोज
(10) पदनाम एवं वेतनमान	उपनिबंधक, 6500-10500
(11) कार्यालय / विभाग का नाम	महानिरीक्षक निबंधक, कर एवं निबन्धन विभाग (उत्तर प्रदेश)
(12) नियुक्ति प्राधिकारी	उत्तर प्रदेश सरकार
(13) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	10.09.2008
(14) कार्यभार छोड़ने की तिथि	16.04.2010
(15) क्या पूर्व की सेवाये पेंशनेवल थी	नहीं
(16) क्या पूर्व में तदर्थ / कार्यप्रभारित / संविदा / सीजनल / नियत वेतन पर सेवा की गयी ? यदि हां, तो विवरण दिया जायें। (विनियमितीकरण आदेश की प्रतिलिपि संलग्न की जाये)	निष्प्रयोज्य
(17) क्या पूर्व सेवाओं में अवैतनिक अवकाश लिया गया था ? यदि हां, तो विवरण दिया जायें।	नहीं
(18) क्या दो सेवाओं के मध्य व्यवधान रहा है? यदि हां, तो -	नहीं
(I) व्यवधानों की अवधि तिथि सहित।	---
(II) व्यवधान का कारण	---
(III) क्या व्यवधान का मर्षण प्रस्तावित है ?	---
(19) क्या पूर्व सेवा में ब्रेक-इन-सर्विस रही है ? यदि हां, तो तत्संबंधी आदेश संलग्न किया जायें।	नहीं
(20) क्या दण्ड स्वरूप किसी सेवा अवधि को ड्यटी पर नहीं माना गया है ? यदि हां, तो अवधि इंगित की जाये तथा तत्संबंधी आदेश संलग्न किया जाये।	नहीं
(21) सत्यापित सेवा पुस्तिका संलग्न की जाये	वर्तमान में सेवा पुस्तिका कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, हरदोई में जमा है।
3- विभाग की संस्तुति	

हस्ताक्षर : Yashwant Kumar Saroj
31/7/24
(यशवंत कुमार सरोज)
अपर जनपद न्यायाधीश
ललितपुर

प्रतिहस्ताक्षरित
जनपद न्यायाधीश
ललितपुर
District Judge
Lalitpur

संश्लेषित राज्य/प्रदेश अधीनस्थ सेवा परीक्षा, विशेष ध्यान-2004

- 1-विज्ञापन संख्या- ए-2/ई-1/2004
- 2-विज्ञापन की तिथि- 15 मई, 2004
- 3-आवेदनपत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि- 11 जून, 2004
- 4-मुख्य परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदनपत्रों की संख्या- 3089
- 5-साक्षात्कार हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों की संख्या- 608
- 6-मुख्य परीक्षा की तिथि:- 19-05-06 से 03-06-06
- 7-साक्षात्कार की तिथि:- अप्रैल, 20, 21, 25, 26 व 30, मई 1, 2, 10, 15, 16 व 17, 2007
- 8-कुल रिक्तियों की संख्या आरक्षण एवं वेतनमान:-

क्र.सं	पद का नाम विभाग तथा वेतनमान	अनिवार्य एवं अधिमानी अहताय सेवा नियमावली के अनुसार	कुल पद	उत्पन्न के अनु- जाति	उत्पन्न के अनु- जाति	उत्पन्न के अन्य पिण्ड वर्ग	उत्पन्न के स्वतंत्र संगम	उत्पन्न के समा- पिण्ड- संग	उत्पन्न के अनु- जाति	उत्पन्न के अनु- जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	डिप्टी कलेक्टर नियुक्ति अंश-3 8000-1 3500	स्नातक अधिमानी-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त।	19	-	03	16	-	-	-	03
2-	सहायक प्राथमिक परिवहन अधिकारी/परिवहन अनु-3) 8000-1 3500	- तदेव-	06	04	01	01	-	-	-	01
3-	सुपंड विकास अधिकारी ग्राम विकास अनु-1) 8000-1 3500	- तदेव-	08	-	08	-	-	-	-	01
4-	अपर जिला विकास अधीन समाज कल्याण विभाग) 8000-1 3500	स्नातक	05	-	-	05	-	-	-	01
5-	सहायक आयुक्त प्यावरकर प्यावर कर विभाग) 8000-1 3500	स्नातक:देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान। अधिमानी:-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त।	26	05	04	17	-	-	-	05
6-	कार्य अधिकारी संचालक/राज अनु-2) 8000-1 3500	---स्नातक ---	04	04	-	-	-	-	-	-
7-	प्रबन्धक/विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण सघ उद्योग अनु-1) 8000-1 3500	स्नातक अधिमानी:-1-व्यवसायिक प्रशासन में स्नातक कोत्तर उपाधि या 2-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 3-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त।	05	01	-	04	-	-	-	01
8-	सहायक प्रमायक ग्राम अनुशासक-4) 8000-1 3500	वाणिज्य/विधि या एक विषय के रूप में अर्थात्सत्र या समाशास्त्र के साथ कला स्नातक अधिमानी-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त।	01	01	-	-	-	-	-	-
9-	अधीनकारागार कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग) 8000-1 3500	1-स्नातक तथा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान 2-नैतिक मापदण्ड भी निर्धारित है। अधिमानी:-अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान, या समाशास्त्र की उपाधि या डिप्लोमा अन्य अधिमानी:-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त।	01	01	-	-	-	-	-	-
10-	अधीनकारागार/विशेष विशेष विवरण-2 अंश-3, 8000-1 3500	स्नातक अधिमानी:-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त।	14	00	00	04	-	-	-	04

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
सहायक निबंधक/सहाकारी संयोजक/सहाकारिता विभाग 8000-13500		कला, विज्ञान, वाणिज्य अथवा कृषि में स्नातक तथा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का पूर्ण ज्ञान। अधिमानी:-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त।	04	01	01	02					
12-जिला समावेष्टा होमगार्ड्स गृह/नागरिक सुरक्षा विभाग 8000-13500		1-स्नातक 2-प्रादेशिक माधुमध्य भी निर्धारित है। अधिमानी:-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र।	01	01	-	-	-	-	-	-	
13-जल विज्ञानी/प्रयोगज्ञ भू-गर्भ जल विभाग 8000-13500		भू-गर्भ शास्त्र या अप्लाइड भू-गर्भ विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष। अधिमानी:-1-भू-जल या भूगर्भ जल में स्नातकोत्तर डिप्लोमा 2-भू-गर्भ जल अन्वेषण और समन्वेषण में दो वर्ष का अनुभव या 3-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 4-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त।	01	01	-	-	-	-	-	-	
14-सहायक भू-भौतिकीय भू-गर्भ जल विभाग 8000-13500		भू-भौतिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष। अधिमानी:-1-भू-जल या भू-गर्भ जल में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या 2-भूगर्भ जल अन्वेषण और समन्वेषण में दो वर्ष का अनुभव या 3-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 4-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त।	04	02	-	02	-	-	-	-	
15-जिला संघायत राज अधिकारी संघायती राज विभाग 6500-10500		स्नातक- अधिमानी:-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र	07	03	-	04	-	-	-	01	
16-जिला प्रशासनिक कल्याण अधिकारी/पिठवन कल्याण विभाग/6500-10500		स्नातक- अधिमानी:-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त।	02	-	-	02	-	-	-	-	
17-जिला व्यवस्थापक अधिकारी राष्ट्रीय व्यवस्थापक विभाग 6500-10500		-----तदेव-----	02	02	-	-	-	-	-	-	
18-जिला समाज कल्याण अधिकारी समाज कल्याण विभाग 6500-10500		-----स्नातक-----	05	01	-	04	-	-	-	01	
19-जिलापूर्ति अधिकारी/श्रेणी-2 साध तथा रसद विभाग 6500-10500		स्नातक तथा देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान। अधिमानी:-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र	01	-	-	01	-	-	-	-	
20-उप निबंधक/सहाकारी निबंधक/दो वर्ष निबंधक विभाग/6500-10500		स्नातक और देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान। अधिमानी:-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त।	32	11	03	18	-	-	-	06	
21-व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-2/व्यापार कर विभाग 5500-9000		स्नातक और देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान। अधिमानी:-1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा या 2-राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त।	59	18	06	35	01	02	-	12	
22-देशीय साध अधिकारी साध तथा रसद विभाग 5500-9000		-----तदेव-----	01	-	-	01	-	-	-	-	
			कुल योग=								34
			208	64	28	116	01	02	-		

नोट:- आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित अनिवार्य/अधीनस्थ अर्हता अवश्य धारित करना चाहिए।

आयु सीमा :- 1। अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2004 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1969 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1983 के बाद का नहीं होना चाहिए।

2। आयु सीमा में छूट:

क। उ०प्र० के अनु०जाति/उ०प्र० के अनु०ज जाति/उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी। यह छूट केवल उ०प्र० के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमत्य होगी।

ख। 1। समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिये समूह "ख" के पदों तथा अधीनस्थ राज्याश्रित पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी।

2। समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए समूह "ग" अराज्याश्रित के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमत्य है।

ग। 1। आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये, जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अधिकतम आयु सीमा में समूह "ख" तथा अधीनस्थ राज्याश्रित पदों के लिए 5 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी। शासनादेश संख्या-17/2/1981-कार्यक-2, दिनांक 28-02-85 के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट ऐसे सैनिकों/सैन्य अधिकारियों को भी अनुमत्य होगी, जो आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि से अगले 6 माह के भीतर अवकाश ग्रहण करने वाले हों

2। समूह "ग" के अराज्याश्रित पदों के लिए सेना से विमुक्त विकलांग अधिकारियों/आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये सेना में की गई सेवा की सम्पूर्ण अवधि के अतिरिक्त आयु सीमा तीन वर्ष और अधिक होगी।

घ। शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्यक-2, दिनांक 28-11-1985 के अनुसार राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी।

शुल्क:- 1। प्रारंभिक परीक्षा हेतु शुल्क: प्रत्येक अभ्यर्थी से आवेदन पत्र के साथ मूल्य के साथ लिया जायेगा जिस पर सम्पूर्ण विवरण अंकित है। अभ्यर्थी को अलग से कोई बैंक ड्राफ्ट/देखरी घालान जमा नहीं करना है।

2। मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क: मुख्य परीक्षा हेतु सफल सामान्य अभ्यर्थियों तथा उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये शुल्क रु० 220/- तथा उ०प्र० के अनुसूचित जाति/उ०प्र० के अनुसूचित ज जाति तथा समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए शुल्क रु० 100/- निर्धारित है। सेना के अवमुक्त अधिकारी/सैन्य विद्योी अथवा कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी: विभिन्न श्रेणियों के यथा सामान्य श्रेणी उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग उ०प्र० की अनुसूचित जाति, उ०प्र० की अनुसूचित ज जाति तथा समाज के विकलांग श्रेणी में से जिस श्रेणी से भी संबंधित होंगे, उन्हें उसी वर्ग / श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क उन्हें मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।

लोक सेवा आयोग, उ०प्र० द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) परीक्षा-2004 के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या-15/21/2007-का-4-2008 दिनांक 07.05.2008 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के साथ आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन कराने के उपरान्त श्री यशवन्त कुमार सरोज पुत्र श्री जंग बहादुर सरोज निवासी ग्राम मचकाही, पोस्ट-डमरूआ जिला जौनपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप रजिस्ट्रार के पद वेतनमान रु० 6500-200-10500 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है।

1- श्री यशवन्त कुमार सरोज, पदभार ग्रहण करने की तिथि से उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 19 के अधीन दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेगे तथा इसी अवधि में उन्हें विहित समस्त विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वे परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं हैं तो इनकी सेवा बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली 1983 के नियम 19 (3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। इन्हें वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली के नियम 22 एवं 23 के अधीन अनुमन्य होगा।

2- नियुक्ति आदेश की प्राप्ति होने पर पदभार ग्रहण करते समय निम्नांकित प्रमाण पत्र/सूचनाएँ प्रस्तुत की जायेगी:-

- (1) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
- (2) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।
- (3) इण्डियन आफिसियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।
- (4) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।
- (5) एक से अधिक पत्नी न होने की घोषणा।
- (6) समस्त चल व अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा।
- (7) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो अधिकतम छः माह पूर्व जारी किया गया हो।
- (8) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ पत्र/घोषणा।

3- उप रजिस्ट्रार के पद पर इनका स्थायीकरण उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली-1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार किया जायेगा।

4- इनकी सेवाएँ उ०प्र० उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली -1983 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी तथा ऐसी अन्य समस्त सेवा शर्तें जो उन पर लागू होगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।

5- विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद स्वतन्त्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु० 750-00 (रु० सात सौ पचास मात्र) का बचत पत्र महानिरीक्षक नियन्त्रण, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जनपद में जमा करनी होगी।

6- यह नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित स्पेशल लॉच दू अधीन (सिनेल) संख्या-14299-14301/2007 लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश तथा अन्य विभाग प्रमुख तथा पाल तथा अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

7- नवनियुक्त उप रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात विलम्बतम एक माह के अन्दर सहायक महानिरीक्षक नियन्त्रण, राउदरेल के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान रिपोर्ट उपरिलिखित प्रन्टर-3 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा पत्रों के साथ प्रस्तुत करेगी। निर्धारित उपाय में योगदान

Photo copy
attached

उप-निबन्धक
जयशंकर

नहीं होगा।

9- नवनियुक्त उप रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण करने की तिथि से उ0प्र0 उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली-1983 के नियम-18(6) के अन्तर्गत 06 सप्ताह का प्रशिक्षण नियमानुसार उप निबन्धक कार्यालय, रायबरेली सदर से सम्बद्ध रह कर प्राप्त करेंगे तथा इसी अवधि में शासनादेश संख्या 253/नौ-आर/20-1927 दिनांक 29.08.1927 के अन्तर्गत निशान अंगूठा लिए जाने का प्रशिक्षण भी जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

M
64.07
(हिमांशु कुमार)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
संख्या 1091(1-10)तीनए-425(अधि0-2004)/08 दिनांक 10-7-2008

प्रतिलिपि :-

- 1- श्री यशवन्त कुमार सरोज पुत्र श्री जंग बहादुर सरोज, म0न0-97/103, स्वराजनगर, तेलियरगंज इलाहाबाद को अनुपालनार्थ।
- 2- सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, रायबरेली को इस निर्देश सहित प्रेषित कि योगदान आख्या प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित नव नियुक्त उप रजिस्ट्रार को कार्यभार ग्रहण कराकर समस्त अभिलेख मुख्यालय को प्रेषित करते हुए उन्हें विधिवत वांछित समस्त प्रशिक्षण दिलाये जाने की कार्यवाही कराये। प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर प्रशिक्षु उप निबन्धक की स्वतन्त्र रूप से तैनाती किए जाने हेतु अपनी स्पष्ट आख्या/संस्तुति मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 3- कोषाधिकारी, रायबरेली।
- 4- अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) पदेन जिला निबन्धक, रायबरेली।
- 5- पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि प्रशिक्षु उप रजिस्ट्रार को उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 29.08.1927 के अनुसार निशान अंगूठा लेने का प्रशिक्षण दिलाने का कष्ट करें।
- 6- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ।
- 7- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 8- विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 9- सचिव, कार्मिक अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 07.05.08 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 10- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

Himanshu
(सन्दीप कुमार शर्मा)
अपर महानिरीक्षक निबन्धन(प्रशा0)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
रायबरेली

::आदेशः

संख्या /तीनए-425/08

दिनांक

2008

लोक सेवा आयोग, उ०प्र० द्वारा उप निबन्धक पद हेतु चयनित श्री यशवन्त कुमार सरोज को कार्यालय आदेश संख्या-1091/तीनए-425 (अधि०-2004) /08 दिनांक 10.07.2008 द्वारा उप निबन्धक पद पर नियुक्त करते हुए उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों के अनुरूप विहित प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उप निबन्धक, रायबरेली सदर जिला रायबरेली से सम्बद्ध किया गया है। सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, रायबरेली के पत्र संख्या-221/मु०नि०लि०/08 दिनांक 27.08.2008 द्वारा प्राप्त आख्यानुसार श्री सरोज द्वारा समुचित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए जाने के फलस्वरूप उन्हें एतद्वारा उप निबन्धक, शाहाबाद जिला हरदोई के रिक्त पद पर बतौर नियमित उप निबन्धक तैनात किया जाता है।

श्री सरोज को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर लें।

(हिमांशु कुमार)

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्या 1950 (1-6) तीनए-425/08

दिनांक 4-9-2008

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, रायबरेली को इस निर्देश के साथ कि वे श्री यशवन्त कुमार सरोज, प्रशिक्षणाधीन उप निबन्धक को नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर मुख्यालय को अवगत करायें।
 - 2- उप महानिरीक्षक निबन्धन, लखनऊ।
 - 3- सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, हरदोई को इस आशय से प्रेषित कि श्री सरोज को उप निबन्धक, शाहाबाद जिला हरदोई का कार्यभार ग्रहण कराकर प्रभार प्रमाण पत्र मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें।
 - 4- अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) पदेन जिला निबन्धक, रायबरेली/हरदोई।
 - 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, रायबरेली/हरदोई।
 - 6- श्री यशवन्त कुमार सरोज, परिवीक्षाधीन उप निबन्धक, सम्बद्ध कार्यालय उप निबन्धक, रायबरेली सदर को अनुपालनार्थ।

(सन्दीप कुमार शर्मा)

अपर महानिरीक्षक निबन्धन(प्रशा.)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आदेश

सख्या : $\frac{241}{055}$ / मु0नि0लि0-08


दिनांक 09/09/2008

महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 इलाहाबाद के आदेश संख्या 1950 1-6/तीन ए -425/08 दिनांक 09.09.08 द्वारा परिवीक्षाधीन उप निबन्धक श्री यशवन्त कुमार सरोज को उप निबन्धक शाहाबाद जनपद हरदोई के पद पर तैनात किया गया है । जिसके अनुक्रम में इन्हें आज दिनांक 09.09.08 के अपरान्ह में अवमुक्त किया जाता है तथा इन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नव तैनाती स्थल पर योगदान आख्या प्रस्तुत करें ।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा ।

इ0
(पन्ना लाल)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन ,
रायबरेली ।
रायबरेली ।

कार्यालय	सहायक	महानिरीक्षक	निबन्धन	रायबरेली ।
प्रतिलिपि	निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।			
1.	महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 इलाहाबाद को सूचनार्थ ।			
2.	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) रायबरेली / हरदोई ।			
3.	सहायक महानिरीक्षक निबन्धन हरदोई ।			
4.	कोषाधिकारी रायबरेली / हरदोई ।			
5.	श्री यशवन्त कुमार सरोज परिवीक्षाधीन उप निबन्धक सदर रायबरेली ।			


(पन्ना लाल)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन ,
रायबरेली ।

सेवा में,

श्रीमान सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
हरदोई।

महोदय,

महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०, इलाहाबाद के आदेश संख्या 1950(1-6)/तीन
ए-425/2008 दिनांक 04.9.08 द्वारा मेरे नियुक्ति प्रशिक्षण के उपरान्त उप निबन्धक, शाहाबाद
जिला हरदोई के रिक्त पद पर की गयी है।

महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०, इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में मैं आज
दिनांक 10.9.08 के पूर्वान्ह में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत कर रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि मुझे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करने की
कृपा करे।

दिनांक : 10/09/08...

अनुमत

10/9/08
हरदोई

C.R.C.

कार्यभार ग्रहण करने के लिए प्रार्थना, उ०प्र०, इलाहाबाद
कार्यभार ग्रहण - अतिरिक्त कार्यभार के
प्रस्तुत करें।

10/9/08
हरदोई

भवदीय

10/09/08


(यशवन्त कुमार सरोज)
उप निबन्धक

आदेश

महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०, इलाहाबाद के आदेश सं० 1950(1-6)/तीन ए-425/2008 दिनांक 04.9.08 द्वारा श्री यशवन्त कुमार सरोज, उप निबन्धक, को प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त एतद् द्वारा उप-निबन्धक, शाहाबाद जिला हरदोई के पद पर तैनात किया गया है।

श्री सरोज द्वारा अपनी योगदान आख्या आज दिनांक 10.9.08 को पूर्वान्ह में मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गयी है।

तत्कम में श्री सरोज अपना कार्यभार उप निबन्धक, शाहाबाद जनपद हरदोई के पद पर ग्रहण करें।


(सुनिल मिश्र)


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
हरदोई।

कार्यालय, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, हरदोई।

पत्रांक : 238(1-7)सी०आर०सी० हरदोई/०८

दिनांक : 10 सितम्बर, 2008

- प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०, इलाहाबाद।
 2. उप महानिरीक्षक निबन्धन, सीतापुर परिक्षेत्र सीतापुर।
 3. जिला निबन्धक, हरदोई।
 4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई।
 5. प्रभारी उप निबन्धक, शाहाबाद को इस निर्देश के साथ कि वह श्री यशवन्त कुमार सरोज को उप निबन्धक, शाहाबाद के पद का कार्यभार सौंप दें।
 6. मुख्य निबन्धन लिपिक, हरदोई को कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु।



सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
हरदोई।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-4541/दो-4-09-32(1)/2008
लखनऊ: दिनांक 09 फरवरी, 2010

विज्ञप्ति / नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 2006 के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतनमान रू० 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर चरित्र एवं पूर्व वृत्त संतोषजनक पाये जाने एवं पूर्व में जारी विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-752/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक 24.3.09, संख्या-1247/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक 01.4.09, संख्या-1539/दो-4-2009-32(1)/08 दिनांक 22.4.09 संख्या-1653/दो-4-2009-32(1)/08 दिनांक 8.5.09 संख्या-2057/दो-4-09-32(1)/08 दिनांक 21.5.09, संख्या-2208/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक 2.6.09, संख्या-2167/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक 10.6.09, संख्या-2319/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक 12.6.09, संख्या-2417/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक 23.6.09, संख्या-2974/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक-7.8.09 संख्या-3205/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक 20.8.09, संख्या-3414/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक 8.9.09 संख्या-3574/दो-4-2009-32(1)/2008, दिनांक 11.11.09, संख्या-4305/दो-4-2009-3(1)/2008 दिनांक 16.12.09 एवं पत्र संख्या-4541/दो-4-09-32(1)/08 दिनांक 5.1.2010 के अनुक्रम में निम्नलिखित 04 अभ्यर्थियों की नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-1347(एम/बी)/09 अविनाश चन्द्र बनाम लोक सेवा आयोग व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पता
1-	श्री विराट शिरोमणि आ० श्री संजीव शिरोमणि	म.न.-सी-167 सेक्टर सी, महानगर, लखनऊ पिन कोड-226006
2-	श्री यशवन्त कुमार सरोज आ० श्री जंग बहादुर सरोज	ग्राम-मचकाही, पो०-डमरुआ जिला- जौनपुर
3-	श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह आ० श्री राधय प्रसाद सिंह	म.न.-305 वाड न०-16 न्यू कालोनी शहर देवरिया, जिला देवरिया
4-	श्री विजय कुमार आ० श्री केदार नाथ	निवासी-ग्राम बाल खुद (महुआबारी) पो०-दौरीचौरा जिला-गौरखपुर

2- उपरोक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के आदेश अलग से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
8.2.2010
(कुँवर फतेह बहादुर)
एम० ए० सचिव।

संख्या-4541(1)/दो-4-09-32(1)/2008, तददिनांक।

- 1- प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
निदेशक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को उ०प्र० गजट के आगम
हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-68/14/ई-2
/2007-08 दिनांक 18.12.08 एवं संख्या-200/14/ई-2/2007-08, दिनांक-17
6.09 के संदर्भ में।
- 3- अपर निदेशक कोषागार, निदेशालय उ०प्र० शिविर कार्यालय कचहरी रोड, इलाहाबाद
- 4- अपर निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र० गोमती नगर
लखनऊ।
- 5- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ०प्र० शासन लखनऊ।

पंजीकृत

- 6- सम्बन्धित अभ्यर्थियों को इस निर्देश सहित प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतः
अस्थायी है एवं अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर उनके द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों के
अनुसार एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने पद का
कार्यभार, अवश्य ग्रहण कर लें। यदि बिना समुचित कारणों के वह मा० उच्च
न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो
उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति
के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया
जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है तो
उसकी लिखित सूचना महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा प्रमुख
सचिव, नियुक्ति अनुभाग-4 को तत्काल भेजें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है
कि सिविल जज (जू.डि.) के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से इस प्रतिबन्ध
के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
संस्थान, उ० प्र० लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर उन्हें विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण
करनी होगी।

अभ्यर्थी को जब तक सिविल जज (जू.डि.) के पद पर स्थायी रूप से
नियुक्ति नहीं हो जाती है वह तब तक स्थायी कर्मचारियों पर लागू शासकीय
अधिसूचना संख्या-20/1/74 नियुक्ति-3 दिनांक 11.6.75 में दी गई शर्तों के
अधीन रहेंगे। अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं
होगा।

- 7- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

- 8- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस विज्ञप्ति की 04 प्रतियाँ, सम्बन्धित
अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये आवेदन प्रपत्रों एवं उनके
संलग्नकों सहित मूलरूप में तथा उपरोक्त 04 अभ्यर्थियों के विषय में चिकित्सा
परिषद की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मूलरूप में इस मंतव्य के साथ प्रेषित कि
अभ्यर्थी द्वारा मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में बिना समुचित
कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी स्थिति से

शासन को अबिलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के सम्बन्ध में निर्गत होने वाले मा० न्यायालय के आदेश की प्रति तथा अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/समय सहित सूचना शासन को कृपया तत्काल प्रेषित की जाये।

9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुचेल
(डा० सुचेल कुमार)
अनु सचिव।

प्रेषक,

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
हरदोई।

सेवा मे,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पत्रांक: 241 /स०म०नि० हरदोई/10


दिनांक : 10-3-10

विषय : उप निबन्धक, शाहाबाद, हरदोई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रेषण के संबंध में।
महोदय,

जनपद हरदोई में कार्यरत श्री यशवन्त कुमार सरोज, उप निबन्धक, शाहाबाद जिनकी नियुक्ति अतिरिक्त सिविल जज (जू०डि०) लखनऊ के पद पर हो गयी है। श्री सरोज ने उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उप निबन्धक, शाहाबाद के पद से कार्यमुक्त होने विषयक श्रीमान जी को संबोधित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जो मूलरूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान जी की सेवा में समस्त संलग्नकों सहित प्रेषित है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा करें।


भवदीय


(सुनिल मिश्र)

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
हरदोई।

प्रतिलिपि:- उप महानिरीक्षक निबन्धन सीतापुर वृत्त, सीतापुर को सादर सूचनार्थ।

etc


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
हरदोई।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र०, इलाहाबाद।

द्वारा,

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
हरदोई।

विषय : सिविल जज (जू०डि०) का पदभार ग्रहण करने हेतु उप निबन्धक, शाहाबाद
(हरदोई) पद से कार्यमुक्त किया जाने विषयक।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी का चयन अंतिम रूप से उ०प्र०, न्यायिक सेवा (जू०डि०) परीक्षा-2006 में सिविल जज (जू०डि०) के पद पर हो गया है, जिसके संबंध में विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 29.12.2008 को प्राप्त कर लिया है। उक्त के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश, शासन नियुक्ति अनुभाग-4 सं० 4541/दो-4-09-32(1)/2008 लखनऊ दिनांक 09.02.2010 द्वारा नियुक्ति/विज्ञप्ति विषयक सूचना निर्गत की गयी थी। इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अधिसूचना सं० 145/ए०आर०(एस०)/2010 दिनांक 11.03.2010 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को लखनऊ जनपद में अतिरिक्त सिविल जज (जू०डि०) के पद पर नियुक्त करते हुए तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश निर्गत किया है।

अतः सादर निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरी को उप निबन्धक शाहाबाद, (हरदोई) के पद से कार्यमुक्त करने की कृपा करें, ताकि वह अतिरिक्त सिविल जज (जू०डि०), लखनऊ का पदभार ग्रहण करने विषयक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का समयान्तर्गत पालन कर सके।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय

18.03.2010

(यशवन्त कुमार सरोज)
उप निबन्धक, शाहाबाद
जनपद-हरदोई।

संख्या

/तीन ए-425(मु0)

आदेश

दिनांक

लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 द्वारा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा(विशेष चयन) परीक्षा वर्ष 2004 के परिणाम के आधार पर श्री यशवन्त कुमार सरोज पुत्र श्री जंग बहादुर सरोज, जो वर्तमान में उप निबन्धक शाहाबाद, जिला हरदोई के पद पर कार्यरत हैं, को शासकीय विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-4591/दो-4-09-32(1)/2008 दि0 09 फरवरी, 2010 द्वारा सिविल जज(जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्त किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में श्री यशवन्त कुमार सरोज, परिवीक्षाधीन उप निबन्धक ने अपने प्रार्थना पत्र दि0 18.03.2010 द्वारा सिविल जज(जू0डि0) के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी विज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न करते हुए वर्तमान सेवा(उप निबन्धक पद की) से कार्यमुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। श्री यशवन्त कुमार सरोज के उक्त प्रार्थना पत्र एवं सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, हरदोई द्वारा श्री यशवन्त कुमार सरोज के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही लम्बित न होने तथा कोई अदेयता न होने सम्बन्धी निर्गत प्रमाणक दि0 12.4.2010 पर सम्यक् विचारोपरान्त उन्हें निबन्धन विभाग के उप निबन्धक पद से, कार्यभार छोड़ने की तिथि से, कार्यमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(वीरेन्द्र कुमार)

प्रभारी अपर महानिरीक्षक निबन्धन(प्र0),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।


उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन,
संख्या 1742(1-8)/तीन ए-425(मु0)

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

दिनांक 13-4-10

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, हरदोई को श्री यशवन्त कुमार सरोज, उप निबन्धक शाहाबाद, जिला हरदोई के प्रार्थना पत्र दि0 18.03.2010 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि श्री यशवन्त कुमार सरोज को कार्यभार से नियमानुसार अवमुक्त कर कृत कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
 2. श्री यशवन्त कुमार सरोज, परिवीक्षाधीन उप निबन्धक शाहाबाद, जिला हरदोई को उनके प्रार्थना पत्र दि0 18.03.2010 के सन्दर्भ में।
 3. अपर जिलाधिकारी(वि0रा0)/जिला निबन्धक, हरदोई।
 4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई।
 5. निबन्धक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
 6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
 7. विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
 8. विशेष सचिव, कार्मिक अनुभाग-4, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
 9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 इलाहाबाद को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।



(वीरेन्द्र कुमार)

प्रभारी अपर महानिरीक्षक निबन्धन(प्र0),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

Scanned


A.D.M (FXR)

HARDOI

आदेश

महानिरीक्षक निबन्धन उ०प्र०, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1742 (1-9) तीन ए-425 (मु०) दिनांक 13.04.2010 द्वारा श्री यशवन्त कुमार सरोज, परिवीक्षाधीन उप निबन्धक, को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2010 के क्रम में सिविल जज (जू०डि०), लखनऊ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वर्तमान सेवा से कार्यमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के अनुपालन में श्री यशवन्त कुमार सरोज, उप निबन्धक, शाहाबाद, को निर्देशित किया जाता है कि वह कार्यालय उप निबन्धक शाहाबाद में कार्यरत वरिष्ठ निबन्धन लिपिक, श्री रवीन्द्र कुमार, को अपना कार्यभार सौंप कर नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त हो जाये।


(सुनिल मिश्र)


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
हरदोई।

कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन हरदोई।

पत्रांक : 824/सी०आर०सी० हरदोई/2010 दिनांक : 16.4.2010


प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


1. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. उप महानिरीक्षक निबन्धन, सीतापुर परिक्षेत्र सीतापुर।
3. जिला निबन्धक, हरदोई।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई।
5. ✓ श्री यशवन्त कुमार सरोज, उप निबन्धक, शाहाबाद को अनुपालनार्थ।
6. श्री रवीन्द्र कुमार, नि०लि० कार्यालय उप निबन्धक शाहाबाद को अनुपालनार्थ।
7. मुख्य निबन्धन लिपिक, हरदोई को आवश्यक कार्यवाही एवं व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु।


सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
हरदोई।

प्रभार प्रमाण पत्र

महानिरीक्षक निबन्धन उ०प्र०, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1742 (1-9) तीन ए-425 (मु०) दिनांक 13.04.2010 के क्रम में सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, हरदोई के आदेश सं० 82(1-7)/सी०आर०सी० हरदोई/10 दिनांक 16.04.2010 के अनुपालन आज दिनांक 16.04.2010 को अपराहन में कार्य दिवस की समाप्ति पर उप निबन्धक शाहाबाद, जनपद हरदोई के पद का कार्यभार हस्तान्तरित किया गया।


(यशवन्त कुमार सरोज)
मुक्त अधिकारी



(रवीन्द्र कुमार)
मोचक कार्मिक

कार्यालय उप निबन्धक, शाहाबाद, जिला हरदोई।


पत्रांक : 194 / उ०नि०, शाहाबाद, हरदोई / 2010 दिनांक : 16.4.2010

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप महानिरीक्षक निबन्धन सीतापुर परिक्षेत्र, सीतापुर।
2. जिला निबन्धक, हरदोई।
3. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन हरदोई को चार प्रतियों में।


(रवीन्द्र कुमार)
प्र० उप निबन्धक,
शाहाबाद हरदोई।

Seen


A.D.M (FAR)
HARDOI

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: March 11, 2010

No. 144 /AR(S)/2010

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 4541/II-4-09-32(1)/2008 dated 09.02.2010 Sri **Virat Shiromani**, candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Lucknow.

No. 145 /AR(S)/2010

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 4541/II-4-09-32(1)/2008 dated 09.02.2010 Sri **Yashwant Kumar Saroj**, candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Lucknow.

No. 146 /AR(S)/2010

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 4541/II-4-09-32(1)/2008 dated 09.02.2010 Sri **Yogendra Pratap Singh**, candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Varanasi.

No. 147 /AR(S)/2010

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 4541/II-4-09-32(1)/2008 dated 09.02.2010 Sri **Vijay Kumar**, candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Bhadohi at Gyanpur.

BY ORDER OF THE COURT,

Sd/-

**(DINESH GUPTA)
REGISTRAR GENERAL**

No. 141 /AR(S)/2010 Dated: Allahabad : March 11, 2010

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. The Executive Chairman, U.P. State Legal Services Authority, Third Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow-226001.
2. Pramukh Sachiv, Niyukti, U.P. Shasan, Lucknow.
3. Pramukh Sachiv, Nyay Evam Vidhiparamarshi, Uttar Pradesh Shasan, Lucknow.
4. The Director, Institute of Judicial Training & Research, Vineet Khand, Gomti Nagar, U.P. Lucknow requesting him to impart Induction Training to aforesaid newly appointed Civil Judge, Junior Division in their wisdom . (Information available on E-mail).
5. The Additional Director, Treasury, Camp Office, First Floor, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad.
6. The District & Sessions Judges, Bhadohi at Gyanpur, Lucknow & Varanasi

along with photocopy of U.P. Government Appointment/Notification No. **4541/II-4-09-32(1)/2008 dated 09.02.2010**(Information available on E-mail).

District & Sessions Judges, are directed that to permit the newly appointed candidates Civil Judge, Junior Division, to take over charge on the post.

Copy of the charge certificates of the candidate Civil Judge Junior Division be sent to the Assistant Registrar (Services), High Court, Allahabad.

The District & Sessions Judges are directed to make arrangement for field training in the judgeship for newly recruited/ appointed candidates of Civil Judge, Junior Division as per instruction contained in letter No. 416/A.R.(S)/3-A/2009 dated 03.09.2009.

It is to add that local arrangement shall be made by you in pursuance of Court's Circular Letter No.27/D.R.(S)/2000 dated 21.6.2000.

7. (i) **Sri Virat Shiromani** S/o Sri Sanjeev Shiromani, H.N.-C-167 Sector-C, Mahanagar, Lucknow-226006(U.P.)
- (ii) **Sri Yashwant Kumar Saroj**, S/o Sri Jung Bahadur Saroj, Village-Machkahi, Post-Damarua District-Jaunpur(U.P.)
- (iii) **Sri Yogendra Pratap Singh**,S/o Shi Raghav Prasad Singh, H.n.-305 Ward No.16 New Coloney Sahar Deoria Distrcet Deoria.
- (iv) **Sri Vijay Kumar**, S/o Sri Kedar Nath,Village Bal Khurd(Mahuabari), Post Chauri Chaura District Gorakhpur(U.P.)

Above-mentioned appointed candidate Civil Judge, Junior Division will proceed to take over charge of their place of posting immediately.

Newly appointed candidate Civil Judge, Junior Division should note that their appointment to the post of Civil Judge, Junior Division in U.P. Nyayik Sewa is purely temporary and until they are absorbed and appointed as permanent Civil Judge, Junior Division. They shall be subjected to general conditions of services applicable to temporary Government servant contained in Government Notification No. 20/I/74-Niyukti-3, dated June 11, 1975 and also under the condition laid down in U.P. Government Notification/Appointment No. **4541/II-4-09-32(1)/2008 dated 09.02.2010**.

8. The Publication Secretary, U.P. Judicial Services Association Office, A-1, River Bank Judges Colony, Lucknow.
9. The Registrar (Confidential), High Court, Allahabad.
10. The Officer on Special Duty (Litigation), High Court, Allahabad
11. The Officer on Special Duty (Computer)/ In charge Computer Centre, High Court, Allahabad.
12. The Deputy Registrar (Budget), High Court, Allahabad.
13. The Section Officer (Admin.A-3) Section, High Court, Allahabad
14. The Section Officer (Admin. H) Section, High Court, Allahabad

15. The Director, Printing & Stationary, U.P. Allahabad for publication of the notification in the next issue of the Gazette.
16. P.S. to Hon'ble Judges, High Court of Judicature at Allahabad & Lucknow Bench, Lucknow. (Information available on E-mail).

BY ORDER OF THE COURT.

**Sd/-
(VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA)
ASSISTANT REGISTRAR (SERVICES)**

PLEASE NOTE THIS CAREFULLY ELSE YOUR PENSION WILL BE DELAYED

1. Entries regarding promotions etc. as and when they occur must be made and attested.
2. If a temporary post which you held become permanent subsequently, it must be clearly stated and relevant Government Order pasted. (Art 370 371 C S R)
3. State the exact nature of your officiating post i.e. whether they were in clear vacancies (Art. 371 C S R)
4. If you were on probation before confirmation let your Service Book say so. (Art 373 C S R)
5. Clearly indicate the nature of your service in the last three years.
6. See that your service is verified and recorded every year.

Accountant General

कृपया सावधानी से कर्मचारी नोट कर लें नहीं तो आपको पेंशन देर में होगी

1. आपको पद इत्यादि में जब कभी उन्नति हो, उसी समय उसे लिख कर प्रमाणित करा देना चाहिए।
2. जिन अस्थाई पद पर आप काम कर रहे थे, यदि वह आगे चलकर स्थाई हो जाये तो इसे साफ साफ लिखा लेना चाहिए साथ उससे सम्बन्धित सरकारी आज्ञापत्र चिपका देना चाहिए (सिविल सर्विस रेगुलेशन धारा 370)
3. अपने स्थाई पदों का ठीक-ठाक विवरण दीजिए अर्थात् क्या वे पूरी तौर से खाली जगहों पर थे। (सिविल सर्विस रेगुलेशन धारा 371)
4. यदि आप स्थाई होने के पहले परीक्षाधीन (on probation) थे तो वह आपकी सेवा पत्रिका से पता लगना चाहिए (सिविल सर्विस रेगुलेशन धारा 373)
5. अन्तिम तीन वर्षों में किस किस तरह की राजसेवा में रहे, उसे साफ साफ लिखा दीजिए।
6. इसका भी ध्यान रखें कि आपकी राजसेवा की जांच हर साल की जाती है और उसे लिख भी दिया जाता है।


THUMB & FINGERS IMPRESSIONS OF EMPLOYEE

कर्मचारी की अंगुलियों तथा अंगूठों के चिन्ह

एकाउन्टेन्ट जनरल

Left Hand बायां कर

Right Hand दक्षिण कर



Re-Attestation

पुनः प्रमाणिकरण

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Attested by प्रमाणित कर

S.P. : Thumb and Finger impression should be reattested after every five years.

टिप्पणी : अंगुलियों तथा अंगूठों के चिन्ह प्रत्येक पांच वर्ष के उपरान्त पुनः प्रमाणित किये जाने चाहिए।

F.R. FORM No. 13

(See paragraph 35 of Auditor-General Instructions Issued Under Fundamental Rule 74)

1. Name नाम	YASHWANT KUMAR SAROT
2. Race जाति या कौम	HINDU (PASI)
3. Permanent Residence स्थायी निवास स्थान	VILL- MACHKAHI, POST- DAMARU, DISTT.- JAUNPUR, U.P.
4. Father's Name & Residence पिता का नाम तथा निवास स्थान	SHRI JANG BAHADUR SAROT VILL- MACHKAHI, PO.- DAMARUA DISTT.- JAUNPUR, U.P.
5. Date of Birth by the christain era as nearly as can be ascertained. जन्म दिनांक अंको में शब्दों में	21-03-1979 TWENTY ONE MARCH, NINETEEN SEVENT NINE
6. Exact height by measurement ठीक ठीक लम्बाई	163 c.m.
7. Personal marks for identification वैयक्तिक अभिज्ञान चिन्ह	A CUT MARK ON THE RIGHT SIDE OF FOREHEAD
8. Signature of Government Servant with date सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर दिनांक सहित	 5.08.2008
9. Signature and designation of Head of the office or other attesting officer with date. कार्यालयाध्यक्ष या दूसरे अभिप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम दिनांक सहित	 5.08/08 राशवरेली

N.B. :- The entries in this page should be renewed or reattested at least every five years.

शासनादेश संख्या-वे03110-2-1318/दरा-59 (एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 की धारणानुसार
 वेतन निर्धारण का विवरण

श्री यशवन्त जुमारे सरकेज

1	सरकारी सेवक का नाम			
2	उस पद का पद नाम, जिसे पर दिनांक 01 जनवरी, 2000/विगत की तिथि को वेतन निर्धारित होगा है।	उपनिषद/16-7-2008		
3	स्तर (भौतिक/स्थानापन्न)	भौतिक		
4	पद का वर्तमान वेतनमान	6500-200-10500		
5	दिनांक 01 जनवरी, 2006/विकल्प की तिथि को वर्तमान परिलक्षित (क) मूल वेतन (वृद्धिरोध वेतन गृहित, यदि कोई हो) (ख) गंहगाई वेतन (ग) गंहगाई गत्ता, दिनांक 01-1-2008 को लागू दर (24 प्रतिशत पर)। (अखिल भारतीय उद्योगिता मूल्य सूचकांक औरत 530 (1002=100) के आधार पर) (घ) एन0पी0ए0, यदि कोई हो, पर दिनांक 01-1-2008 को देय गंहगाई गत्ता (24 प्रतिशत) (ङ) कुल वर्तमान परिलक्षित (क+ख+ग+घ)	16-7-08 6500-200		
6	पुनरीक्षित वेतन संरचना में वर्तमान वेतनमान के सादृश्य वेतन बैंड न ग्रेड वेतन	9300-34800 ग्रेड वेतन 4200		
7	सादृश्य वेतन बैंड/ वेतनमान में निर्धारित वेतन।	9300=00		
8	सादृश्य ग्रेड वेतन।	4200=00		
9	शासनादेश संख्या -वे03110-2-1318/दरा- 59 (एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-5 की टिप्पणी-6 के संदर्भ कनिष्ठ के वेतन के समान बढ़ाया गया वेतन, यदि लागू हो। (कनिष्ठ का नाम तथा वेतन स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय)।	X		
10	भौतिक पद पर निर्धारित ऐसा वेतन जो स्थानापन्न पद पर निर्धारित वेतन से अधिक हो गया हो (विन्दु-9 में उल्लिखित शासनादेश के प्रस्तर-5 (2) के संदर्भ में)	X		
11	व्यक्तिक वेतन, यदि कोई हो। (विन्दु-9 में उल्लिखित शासनादेश के प्रस्तर-5 व 7 के संदर्भ में)	X		
12	वेतन निर्धारण के उपरान्त परिलक्षित (क) पुनरीक्षित वेतन बैंड/वेतनमान में वेतन (ख) ग्रेड वेतन (ग) विशेष वेतन, यदि अनुमत्य है (विन्दु-9 में उल्लिखित शासनादेश के प्रस्तर-5 (1) (ग) के संदर्भ में) (घ) व्यक्तिक वेतन, यदि अनुमत्य है। (ङ) प्रैक्टिस बन्दी गत्ता, यदि देय हो। (च) मूल वेतन एवं प्रैक्टिस बन्दी गत्ता (यदि कोई हो) पर अनुमत्य गंहगाई गत्ता।	9300=00 4200=00 X X X		
13	अगली वेतनवृद्धि की तिथि तथा वेतन वृद्धियाँ स्वीकृति करने के उपरान्त वेतन			
	वेतन वृद्धि का दिनांक	वेतनवृद्धि के उपरान्त (रू0)	ग्रेड वेतन (जो देय है)	वेतन बैंड/वेतनमान में वेतन तथा देय वेतन का योग
	1-7-2009	9310=00	4200=00	13910=00
14	अन्य कोई विशिष्ट सूचना	X	X	X

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
 16-7-08

प्रेषक .

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
रायबरेली ।

सेवा में ,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र० इलाहाबाद ।

संख्या 195 / सी०आर०सी०-०८


दिनांक 3 जूलाई

विषय :- योगदान आख्या प्रस्तुत करने एवं पदभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में ।

महोदय ,

उपर्युक्त विषयक अपने नियुक्ति आदेश संख्या 1091 / तीन ए -425 (अधि० 2004) / 08 दिनांक 10.07.08 के अनुपालन में श्री यशवन्त कुमार सरोज उप निबन्धक ने समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित दिनांक 16.07.08 को पूर्वान्ह अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करते हुए पदभार ग्रहण किया ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।



(पन्ना लाल)

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
रायबरेली ।

Photo copy
attached





सेवा में ,

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन ,
रायबरेली ।

विषय:-

योगदान आख्या विषयक ।

महोदय ,

उपर्युक्त विषयक महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 इलाहाबाद के नियुक्ति आदेश संख्या 1091- तीन ए -425 (अधि0-2004)/08 दिनांक 10.07.2008 के अनुपालन में आज दिनांक 16.07.08 को पूर्वान्ह अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ।

अतः योगदान आख्या स्वीकृत करते हुए कार्यभार ग्रहण कराने की कृपा करें।


संलग्नक - यथोपरि ।

Allowed
16.07.08
S.S.G.

Photo copy
attached



भवदीय ,


16/07/08

(यशवन्त कुमार सरोज)
उप निबन्धक -
जनपद रायबरेली

::नियुक्ति आदेशः

संख्या 1091 / तीनए-425(अधि0-2004) / 08

दिनांक 10-7-2008

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) परीक्षा-2004 के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या-15/21/2007-का-4-2008 दिनांक 07.05.2008 द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची के साथ आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन कराने के उपरान्त श्री यशवन्त कुमार सरोज पुत्र श्री जंग बहादुर सरोज निवासी ग्राम मचकाही, पोस्ट-डमरुआ जिला जौनपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप रजिस्ट्रार के पद वेतनमान् रु0 6500-200-10500 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है।

1- श्री यशवन्त कुमार सरोज, पदभार ग्रहण करने की तिथि से उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली, 1983 के नियम 19 के अधीन दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेगे तथा इसी अवधि में उन्हें विहित समस्त विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि वे परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते अथवा इनके कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उप रजिस्ट्रार के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं हैं तो इनकी सेवा बिना किसी प्रतिकर के उत्तर प्रदेश उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली 1983 के नियम 19 (3) के अनुसार परिवीक्षा अवधि के मध्य अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेगी। इन्हें वेतन इत्यादि उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली के नियम 22 एवं 23 के अधीन अनुमन्य होगा।

2- नियुक्ति आदेश की प्राप्ति होने पर पदभार ग्रहण करते समय निम्नांकित प्रमाण पत्र/सूचनाएँ प्रस्तुत की जायेगी:-

- (1) आयु, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
- (2) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।
- (3) इण्डियन आफीसियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों के पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।
- (4) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।
- (5) एक से अधिक पत्नी न होने की घोषणा।
- (6) समस्त चल व अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा।
- (7) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो अधिकतम छः माह पूर्व जारी किया गया हो।
- (8) भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के सम्बन्ध में शपथ पत्र/घोषणा।

3- उप रजिस्ट्रार के पद पर इनका स्थायीकरण उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली-1983 के नियम-20 के अन्तर्गत स्थायी पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार किया जायेगा।

4- इनकी सेवाएँ उ0प्र0 उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली -1983 (समय-रूनय पर यथासंशोधित) के प्राविधानों से शासित होगी-तथा ऐसी अन्य समस्त सेवा शर्तें जो उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।

5- विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद स्वतन्त्र रूप से उप रजिस्ट्रार के पद पर तैनाती होने पर रु0 750-00 (रु0 सात सौ पचास मात्र) का बचत पत्र महानिरीक्षक नियन्त्रण, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पक्ष में जमानत के रूप में तैनाती स्थल के जनपद में जमा करनी होगी।

6- यह नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित स्पेशल लॉय टु अपील (सिविल) संख्या-14299-14301/2007 लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश तथा अन्य उच्च न्यायालय तथा पाल तथा अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

7- नवनियुक्त उप रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात विलम्बतम एक माह के अन्दर सहायक महानिरीक्षक नियन्त्रण, रायबरेल के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने हेतु अपनी योगदान रिपोर्ट उपरिलिखित प्रन्तर-3 में उल्लिखित अभिलेखों/घोषणा पत्रों के साथ प्रस्तुत करेगी। निर्धारित अवधि में योगदान

Photo copy
attached

उप-निबन्धक
उप-निबन्धक

सहित प्राथना पत्र प्रमाणित
8- नियुक्ति आदेश के क्रम से पदभार ग्रहण करने के लिए कार्यवाही नहीं होगी।
9- नवनियुक्त उप रजिस्ट्रार पदभार ग्रहण करने की तिथि से उ०प्र० उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली-1983 के नियम-18(6) के अन्तर्गत 06 सप्ताह का प्रशिक्षण नियमानुसार उप निबन्धक कार्यालय, रायबरेली सदर से सम्बद्ध रह कर प्राप्त करेंगे तथा इसी अवधि में शासनादेश संख्या 253/नौ-आर/20-1927 दिनांक 29.08.1927 के अन्तर्गत निशान अंगूठा लिए जाने का प्रशिक्षण भी जिला पुलिस कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

M...
64.07
(हिमांशु कुमार)
महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
संख्या 1091(1-10)तीनए-425(अधि०-2004)/08 दिनांक 10-7-2008
प्रतिलिपि :-

- 1- श्री यशवन्त कुमार सरोज पुत्र श्री जंग बहादुर सरोज, म०न०-97/103, स्वराजनगर, तेलियरगंज इलाहाबाद को अनुपालनार्थ।
- 2- सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, रायबरेली को इस निर्देश सहित प्रेषित कि योगदान आख्या प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित नव नियुक्त उप रजिस्ट्रार को कार्यभार ग्रहण कराकर समस्त अभिलेख मुख्यालय को प्रेषित करते हुए उन्हें विधिवत वांछित समस्त प्रशिक्षण दिलाये जाने की कार्यवाही कराये। प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर प्रशिक्षु उप निबन्धक की स्वतन्त्र रूप से तैनाती किए जाने हेतु अपनी स्पष्ट आख्या/संस्तुति मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 3- कोषाधिकारी, रायबरेली।
- 4- अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) पदेन जिला निबन्धक, रायबरेली।
- 5- पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि प्रशिक्षु उप रजिस्ट्रार को उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 29.08.1927 के अनुसार निशान अंगूठा लेने का प्रशिक्षण दिलाने का कष्ट करें।
- 6- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, इलाहाबाद को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ।
- 7- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 8- विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 9- सचिव, कार्मिक अनुभाग-4, उ०प्र० शासन, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 07.05.08 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 10- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

Himanshu
(सन्दीप कुमार शर्मा)
अपर महानिरीक्षक निबन्धन(प्रशा०)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
रायबरेली


शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1310/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08
दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार

वेतन निर्धारण का विवरण

1	सरकारी सेवक का नाम	श्री यशवन्त कुमार शर्मा
2	उस पद का पदनाम, जिस पर दिनांक 01 जनवरी, 2006/विकल्प की तिथि को वेतन निर्धारित होना है।	उप निबंधक
3	स्तर (मौलिक/स्थानापन्न)	मौलिक
4	पद का वर्तमान वेतनमान	6500-200-10500
5	दिनांक 01 जनवरी, 2006/विकल्प की तिथि को वर्तमान परिलब्धियाँ (क) मूल वेतन (वृद्धिरोध वेतन वृद्धि सहित, यदि कोई हो) 16-1-08 को (ख) मंहगाई वेतन (ग) मंहगाई भत्ता, दिनांक 01-1-2006 को लागू दर (24 प्रतिशत) पर। {अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औसत 536(1982=100) के आधार पर } (घ) एन0पी0ए0, यदि कोई हो, पर दिनांक 01-1-2006 को देय मंहगाई भत्ता (24 प्रतिशत)। (ङ) कुल वर्तमान परिलब्धियाँ (क+ख+ग+घ)	6500 = 00 3250 = 00 4583 = 00 14340 = 00
6	पुनरीक्षित वेतन संरचना में वर्तमान वेतनमान के सादृश्य वेतन ब्रेण्ड/वेतन	9300-34800-4200
7	सादृश्य वेतन ब्रेण्ड/वेतनमान में निर्धारित वेतन।	14340 = 00

8	सादृश्य ग्रेड वेतन।	4200 = 00
9	शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस- 59 (एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-5 की टिप्पणी-6 के संदर्भ, कनिष्ठ के वेतन के समान बढ़ाया गया वेतन, यदि लागू हो। (कनिष्ठ का नाम तथा वेतन स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय)	
10	नैतिक पद पर निर्धारित वेतन जो स्थानापन्न पद पर निर्धारित वेतन से अधिक हो गया हो {बिन्दु-9 में उल्लिखित शासनादेश के प्रस्तर-5 (2) के संदर्भ में }	
11	वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो। (बिन्दु-9 में उल्लिखित शासनादेश के प्रस्तर-5 की टिप्पणी-5 व 7 के संदर्भ में)	
12	वेतन निर्धारण के उपरान्त परिलब्धियाँ (क) पुनरीक्षित वेतन ब्रेड/वेतनमान में वेतन (ख) ग्रेड वेतन (ग) विशेष वेतन, यदि अनुमत्य है { बिन्दु-9 में उल्लिखित शासनादेश के प्रस्तर-5 (1)(ग) के संदर्भ में } (घ) वैयक्तिक वेतन, यदि अनुमत्य है। (ङ) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता, यदि देय हो। (च) मूल वेतन एवं प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (यदि कोई हो) पर अनुमत्य महंगाई भत्ता।	14340 = 00 4200 = 00 X X X X

13	अगली वेतनवृद्धि की तिथि तथा वेतनवृद्धियों स्वीकृति करने के उपरान्त वेतन		
वेतन वृद्धि का दिनांक	वेतनवृद्धि के उपरान्त वेतन (रु०)		
	वेतन बैंड/ वेतनमान में देय वेतन	ग्रेड वेतन (जो देय है)	वेतन बैंड/वेतनमान में वेतन तथा देय ग्रेड वेतन का योग
1-7-2008	14340=00	4200=00	18540=00
14	अन्य कोई विशिष्ट सूचना		


 सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
 हरदोई
 कार्यालयाध्यक्ष का हस्ताक्षर एवं पदनाम

दिनांक : 24-12-08

विकल्प का प्रारूप

संलग्नक-1

(1) मैं यशवन्त कुमार श्रेष्ठ दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करता हूँ।

(2) मैं अपने मूल/स्थानापन्न पद के निम्नांकित वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करता हूँ जब तक कि :-

मेरी अगली वेतन वृद्धि की तिथि

मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तिथि जिससे मेरा वेतन बढ़कर न हो जाये।

मैं वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करना बन्द कर दूँ/छोड़ दूँ।

वर्तमान वेतनमान

हस्ताक्षर Yashwanth
नाम यशवन्त कुमार श्रेष्ठ
पदनाम उप निबंधक
कार्यालय का नाम उप निबंधक
कार्यालय शाहाबाद

दिनांक : 25-02-2009

स्थान : हरदोई

* यदि लागू न हो काट दिया जाये।

सहमति - पत्र

संलग्नक-3

मैं यह सहमति प्रदान करता हूँ कि यदि मेरे वेतन निर्धारण में किसी त्रुटि के कारण अथवा बाद में किसी असंगति के कारण अधिक भुगतान हो जाने की स्थिति पायी जाती है तो ऐसे अधिक किये गये भुगतान की धनराशि, सरकार द्वारा मुझे भविष्य में होने वाले भुगतानों में से समायोजन द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से, मेरे द्वारा वापस कर दी जायेगी।

दिनांक : 25-02-09

स्थान : हरदोई

हस्ताक्षर

नाम अश्वन्त कुमार सरोज

पदनाम उप निबंधक

आदेश

महानिरीक्षक निबन्धन उ०प्र०, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1742 (1-9) तीन ए-425 (मु०) दिनांक 13.04.2010 द्वारा श्री यशवन्त कुमार सरोज, परिवीक्षाधीन उप निबन्धक, को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2010 के क्रम में सिविल जज (जू०डि०), लखनऊ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वर्तमान सेवा से कार्यमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के अनुपालन में श्री यशवन्त कुमार सरोज, उप निबन्धक, शाहाबाद, को निर्देशित किया जाता है कि वह कार्यालय उप निबन्धक शाहाबाद में कार्यरत वरिष्ठ निबन्धन लिपिक, श्री रवीन्द्र कुमार, को अपना कार्यभार सौंप कर नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त हो जाये।

(सुनिल मिश्र)

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
हरदोई।

कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन हरदोई।

पत्रांक : ०२०५/सी०आर०सी० हरदोई/2010 दिनांक : 16-4-2010


प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


1. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. उप महानिरीक्षक निबन्धन, सीतापुर परिक्षेत्र सीतापुर।
3. जिला निबन्धक, हरदोई।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई।
5. ✓ श्री यशवन्त कुमार सरोज, उप निबन्धक, शाहाबाद को अनुपालनार्थ।
6. श्री रवीन्द्र कुमार, नि०लि० कार्यालय उप निबन्धक शाहाबाद को अनुपालनार्थ।
7. मुख्य निबन्धन लिपिक, हरदोई को आवश्यक कार्यवाही एवं व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
हरदोई।

प्रभार प्रमाण पत्र

महानिरीक्षक निबन्धन उ०प्र०, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1742 (1-9) तीन ए-425 (सु०) दिनांक 13.04.2010 के क्रम में सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, हरदोई के आदेश सं० 82(1-7)/सी०आर०सी० हरदोई/10 दिनांक 16.04.2010 के अनुपालन आज दिनांक 16.04.2010 को अपराह्न में कार्य दिवस की समाप्ति पर उप निबन्धक शाहाबाद, जनपद हरदोई के पद का कार्यभार हस्तान्तरित किया गया।


(यशवन्त कुमार सरोज)
मुक्त अधिकारी



(रवीन्द्र कुमार)
मोचक कार्मिक

कार्यालय उप निबन्धक, शाहाबाद, जिला हरदोई।

पत्रांक : 194 / उ०नि०, शाहाबाद, हरदोई / 2010 दिनांक : 16.4.2010

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप महानिरीक्षक निबन्धन सीतापुर परिक्षेत्र, सीतापुर।
2. जिला निबन्धक, हरदोई।
3. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन हरदोई को चार प्रतियों में।


(रवीन्द्र कुमार)
प्र० उप निबन्धक,
शाहाबाद हरदोई।

Sen

A.D.M (F&R)
HARDOI

आदेश

संख्या / तीन ए-425(मु0)

दिनांक

लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 द्वारा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा(विशेष चयन) परीक्षा वर्ष 2004 के परिणाम के आधार पर श्री यशवन्त कुमार सरोज पुत्र श्री जंग बहादुर सरोज, जो वर्तमान में उप निबन्धक शाहाबाद, जिला हरदोई के पद पर कार्यरत हैं, को शासकीय विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-4591/दो-4-09-32(1)/2008 दि0 09 फरवरी, 2010 द्वारा सिविल जज(जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्त किया गया है।


उक्त के सम्बन्ध में श्री यशवन्त कुमार सरोज, परिवीक्षाधीन उप निबन्धक ने अपने प्रार्थना पत्र दि0 18.03.2010 द्वारा सिविल जज(जू0डि0) के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी विज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न करते हुए वर्तमान सेवा(उप निबन्धक पद की) से कार्यमुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। श्री यशवन्त कुमार सरोज के उक्त प्रार्थना पत्र एवं सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, हरदोई द्वारा श्री यशवन्त कुमार सरोज के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही लम्बित न होने तथा कोई अदेयता न होने सम्बन्धी निर्गत प्रमाणक दि0 12.4.2010 पर सम्यक् विचारोपरान्त उन्हें निबन्धन विभाग के उप निबन्धक पद से कार्यभार छोड़ने की तिथि से, कार्यमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(वीरेन्द्र कुमार)

प्रभारी अपर महानिरीक्षक निबन्धन(प्र0),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
संख्या 1742(1-2)/तीन ए-425(मु0) दिनांक 13-4-10

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, हरदोई को श्री यशवन्त कुमार सरोज, उप निबन्धक शाहाबाद, जिला हरदोई के प्रार्थना पत्र दि0 18.03.2010 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि श्री यशवन्त कुमार सरोज को कार्यभार से नियमानुसार अवमुक्त कर कृत कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
 2. श्री यशवन्त कुमार सरोज, परिवीक्षाधीन उप निबन्धक शाहाबाद, जिला हरदोई को उनके प्रार्थना पत्र दि0 18.03.2010 के सन्दर्भ में।
 3. अपर जिलाधिकारी(वि0रा0)/जिला निबन्धक, हरदोई।
 4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई।
 5. निबन्धक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
 6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
 7. विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
 8. विशेष सचिव, कार्मिक अनुभाग-4, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
 9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 इलाहाबाद को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।



(वीरेन्द्र कुमार)

प्रभारी अपर महानिरीक्षक निबन्धन(प्र0),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

Sun

A.D.M (F.X.R)

HARDO

Last Pay Certificate

Form No. 320

1. Last Pay certificate of the श्री यशवन्त कुमार शरीज श्री शशिकांत धाल उपायुक्त-धनुषाचल
 Proceeding on रूयानावरण

2. To रूयानावरण
 He/She has been paid up to उप निवृत्त शाखावायु जिला रुईवाडी
 following rates.

PARTICULARS	RATE
Substantive Pay.....	
Officiating Pay.....	
Allowances etc.....	

Deduction नोट-श्री शरीजकी उपनिवृत्त नुसार
आपिलपु मे 16-7-08 को यशवन्त कापिकार
अनुसूची कपा यजल ना होने के कारण केवल आधीय

3. His/Her provident Fund Account Number etc. are given below:
श्री विष्णु कामना सापु. अर्धेन आपिलपु (अ.क.)
विवरण आरक्षित करने की व्यवस्था की

Name of the fund	Account No.	Which A. C. maintains the account
—	—	—

4. He/She made over charge of the office of आधीय उपनिवृत्त अदरय शरीज
 on the 9/9/08 month of अप्रैल-०८

5. Recoveries are to be made from the pay of the Government servant as details on the reverse.
 From to at Rs. अप्रैल-०८ a month 9/9/08
 From to at Rs. a month
 From to at Rs. a month

6. He/She is also entitled to draw the following :


7. He/She is also entitled to joining for.....

8. He/She finances the insurance-policies detailed below from provident funds :-

Name of Insurance Company	Number of policy	Amount to premium Rs. i p	Due date for the payment of premium
—	—	—	—

9. The details of Income tax recovered from him upto the date from the beginning of the current year noted on the reverse:

Dated



 Signature शशिकांत धाल
 Designation रूयानावरण

आदेश

महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०, इलाहाबाद के आदेश सं० 1950(1-6)/तीन ए-425/2008 दिनांक 04.9.08 द्वारा श्री यशवन्त कुमार सरोज, उप निबन्धक, को प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त एतद् द्वारा उप-निबन्धक, शाहाबाद जिला हरदोई के पद पर तैनात किया गया है।

श्री सरोज द्वारा अपनी योगदान आख्या आज दिनांक 10.9.08 को पूर्वान्ह में मेरे कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गयी है।

तत्कम में श्री सरोज अपना कार्यभार उप निबन्धक, शाहाबाद जनपद हरदोई के पद पर ग्रहण करें।


(सुनिल मिश्र)

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
हरदोई।


कार्यालय, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, हरदोई।

पत्रांक : 238(1-7)सी०आर०सी० हरदोई/०८

दिनांक : 10 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. उप महानिरीक्षक निबन्धन, सीतापुर परिक्षेत्र सीतापुर।
3. जिला निबन्धक, हरदोई।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई।
5. प्रभारी उप निबन्धक, शाहाबाद को इस निर्देश के साथ कि वह श्री यशवन्त कुमार सरोज को उप निबन्धक, शाहाबाद के पद का कार्यभार सौंप दें।
6. मुख्य निबन्धन लिपिक, हरदोई को कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु।



सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
हरदोई।

आदेश

संख्या : 241/0-55 / मु0नि0लि0-08

दिनांक 09/09/2008

महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 इलाहाबाद के आदेश संख्या 1950 1-6/तीन ए -425/08 दिनांक 09.09.08 द्वारा परिवीक्षाधीन उप निबन्धक श्री यशवन्त कुमार सरोज को उप निबन्धक शाहाबाद जनपद हरदोई के पद पर तैनात किया गया है । जिसके अनुक्रम में इन्हें आज दिनांक 09.09.08 के अपरान्ह में अवमुक्त किया जाता है तथा इन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नव तैनाती स्थल पर योगदान आख्या प्रस्तुत करें ।


यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा ।

इ०
(पन्ना लाल)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन ,
रायबरेली ।

कार्यालय	सहायक	महानिरीक्षक	निबन्धन	रायबरेली ।
----------	-------	-------------	---------	------------

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 इलाहाबाद को सूचनार्थ ।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) रायबरेली / हरदोई ।
3. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन हरदोई ।
4. कोषाधिकारी रायबरेली / हरदोई ।
5. श्री यशवन्त कुमार सरोज परिवीक्षाधीन उप निबन्धक सदर रायबरेली ।


(पन्ना लाल)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन ,
रायबरेली ।

::आदेशः

संख्या


/तीनए-425/08

दिनांक

2008

लोक सेवा आयोग, उ०प्र० द्वारा उप निबन्धक पद हेतु चयनित श्री यशवन्त कुमार सरोज को कार्यालय आदेश संख्या-1091/तीनए-425 (अधि०-2004) /08 दिनांक 10.07.2008 द्वारा उप निबन्धक पद पर नियुक्त करते हुए उप रजिस्ट्रार सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानों के अनुरूप विहित प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उप निबन्धक, रायबरेली सदर जिला रायबरेली से सम्बद्ध किया गया है। सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, रायबरेली के पत्र संख्या-221/मु०नि०लि०/08 दिनांक 27.08.2008 द्वारा प्राप्त आख्यानुसार श्री सरोज द्वारा समुचित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए जाने के फलस्वरूप उन्हें एतद्द्वारा उप निबन्धक, शाहाबाद जिला हरदोई के रिक्त पद पर बतौर नियमित उप निबन्धक तैनात किया जाता है।

श्री सरोज को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर लें।



(हिमांशु कुमार)

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

कार्यालय

महानिरीक्षक

निबन्धन,

उत्तर प्रदेश,


इलाहाबाद।

संख्या 1950 (1-6) तीनए-425/08

दिनांक 4-9-2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, रायबरेली को इस निर्देश के साथ कि वे श्री यशवन्त कुमार सरोज, प्रशिक्षणाधीन उप निबन्धक को नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर मुख्यालय को अवगत करायें।
- 2- उप महानिरीक्षक निबन्धन, लखनऊ।
- 3- सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, हरदोई को इस आशय से प्रेषित कि श्री सरोज को उप निबन्धक, शाहाबाद जिला हरदोई का कार्यभार ग्रहण कराकर प्रभार प्रमाण पत्र मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें।
- 4- अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) पदेन जिला निबन्धक, रायबरेली/हरदोई।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, रायबरेली/हरदोई।
- 6- श्री यशवन्त कुमार सरोज, परिवीक्षाधीन उप निबन्धक, सम्बद्ध कार्यालय उप निबन्धक, रायबरेली सदर को अनुपालनार्थ।



(सन्दीप कुमार शर्मा)

अपर महानिरीक्षक निबन्धन(प्रशा.)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

प्रेषक,

यशवंत कुमार सरोज,
अपर जनपद न्यायाधीश,
जनपद ललितपुर।

सेवा में,

श्रीमान महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय, लखनऊ।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
जनपद ललितपुर।

विषय – माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 10219/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) दिनांकित 29-07-2024 के अनुपालन में तथा शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मैं वर्तमान में अपर जनपद न्यायाधीश के पद पर जनपद ललितपुर में कार्यरत हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 17-04-2021 को सिविल जज (जू०डि०) के पद पर जनपद लखनऊ में कार्यभार ग्रहण किया था। इस सेवा के पूर्व मैंने लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) परीक्षा 2004 में उपनिबंधक पद पर अंतिम चयन उपरान्त महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के नियुक्ति आदेश संख्या 1091/तीन ए-425(अधि०-2004)/08 दिनांक 10-07-2008 के अनुपालन में दिनांक 16-07-2008 को जनपद रायबरेली में पदभार ग्रहण किया। जहाँ से विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त कर महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश संख्या 1950(1-6)/तीनए-425/08 दिनांक 04-09-2008 के द्वारा उपनिबंधक शाहाबाद, जनपद हरदोई के पद पर नियुक्त होने के अनुपालन में दिनांक 09-09-2008 को मुक्त किया गया। तत्पश्चात दिनांक 10-09-2008 को मैंने उपरोक्त आदेश के अनुपालन में अपनी योगदान आख्या सहायक महानिरीक्षक निबन्धन हरदोई के समक्ष प्रस्तुत कर उनकी अनुमति के पश्चात दिनांक 10-09-2008 को ही उपनिबंधक शाहाबाद, जनपद हरदोई के पद का कार्यभार ग्रहण किया। **ससम्मान यह भी अवगत कराना है कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) परीक्षा 2004 की विज्ञापन तिथि 15 मई, 2004 थी।**

पी०सी०एस०(जे०) 2006 परीक्षा में अंतिम चयन उपरान्त निर्गत शासकीय विज्ञप्ति नियुक्ति संख्या - 4541/II-4-09-32(1)/2008 दिनांक 09-02-2010 द्वारा मेरी नियुक्ति सिविल जज (जू०डि०) के पद पर हुयी। उक्त के अनुपालन में मेरे द्वारा दिनांक 18-03-2010 को महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पत्र प्रेषित कर स्वयं को उपनिबंधक शाहाबाद, हरदोई के पद से कार्यमुक्त (रिलीव) किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। तत्पश्चात कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश संख्या - 1742(1-9)/तीन ए-425(मु०) दिनांक 13-04-2010 द्वारा कार्यभार छोड़ने की तिथि से कार्यमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 16-04-2010 को मेरे द्वारा उपनिबंधक शाहाबाद, हरदोई का कार्यभार छोड़ दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन संख्या 145/AR(S)/2010 दिनांक 11-03-2010 द्वारा मुझे सिविल जज (जू०डि०) के पद पर नियुक्त किया गया तथा कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 17-04-2010 को मेरे द्वारा जनपद लखनऊ में सिविल जज (जू०डि०) के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया।

उपरोक्त शासनादेशों के अनुक्रम में अर्हता पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा / यू.पी. एच.जे.एस. के न्यायिक अधिकारी के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 10219/IV-F-82(Pension)/

Admin.(A) दिनांकित 29-07-2024 में यह निर्देश निर्गत किया गया है कि पुरानी पेंशन योजना के चयन के संदर्भ में विकल्प पत्र भरकर पूर्व सेवा के विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित किया जाये तथा उसकी प्रति सूचनार्थ माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित की जाये। उपरोक्त शासनादेशों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया गया है। आवेदक का चयन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) परीक्षा 2004 में उपनिबंधक के पद पर हुआ था। उक्त परीक्षा में विज्ञापन तिथि 15 मई, 2004 थी, जिसके अनुसार आवेदक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को चुनने की अहर्ता को पूर्ण करता है। आवेदक द्वारा अपनी पुरानी सेवा को वर्तमान सेवा में जोड़े जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में पत्र भेजा गया है। उपरोक्त शासनादेशों के अन्तर्गत पूर्व सेवा के अनुक्रम में आवेदक पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित हो रहा है तथा पूर्व व वर्तमान सेवा जुड़ने के पश्चात आवेदक सेवानैवृत्तिक पुरानी पेंशन योजना के लाभों हेतु नवीन सेवा से भी आच्छादित हो जायेगा। शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 में विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 31-10-2024 है।

अतः आवेदक माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में तथा उपरोक्त शासनादेशों के अनुक्रम में निर्गत विकल्प पत्र पुरानी पेंशन योजना चुनने के संदर्भ में भरकर प्रेषित कर रहा है। आपसे सादर अनुरोध है विकल्प पत्र में वर्णित विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर व संस्तुति / सहमति प्रदान करने की कृपा करें। आपसे ससम्मान यह भी अनुरोध है कि मेरे विकल्प पत्र पर कृत कार्यवाही से नियुक्ति प्राधिकारी (संबंधित विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार), माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करें।

सादर,

दिनांक : 31-07-2024

संलग्नक : (1). विकल्प पत्र (मूल) व समस्त प्रपत्रों की छायाप्रति।

(2). माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या

10219/IV-F-82(Pension)/Admin.(A)

दिनांकित 29-07-2024 की छायाप्रति।

भवदीय

Yashwant Kumar Saroj

3117124

(यशवंत कुमार सरोज)

अपर जनपद न्यायाधीश,

ललितपुर।

प्रतिलिपि : पत्र की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1). श्रीमान महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (2). अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, शासन।
- (3). अपर मुख्य सचिव, वित्त (सामान्य अनुभाग-3), लखनऊ, उत्तर प्रदेश, शासन।
- (4). अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति अनुभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, शासन।
- (5). निदेशक, पेंशन निदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, शासन।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, ललितपुर

पत्रांक -

1299/I

ललितपुर

दिनांक -

31, जुलाई, 2024

अग्रसारित

जनपद न्यायाधीश, ललितपुर

District Judge

Lalitpur

शासनादेश संख्या - 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का
संलग्नक -

विकल्प-पत्र

1. नाम - यशवंत कुमार सरोज
2. वर्तमान पदनाम - अपर जनपद न्यायाधीश
3. वेतनमान - 144840 – 194660 लेवल जे-5
4. वर्तमान विभाग का नाम - जनपद न्यायालय / न्याय विभाग (उत्तर प्रदेश)
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम
– लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
6. विज्ञप्ति की तिथि - 15 मई, 2004
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि - 10.07.2008
8. योगदान की तिथि - महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के नियुक्ति आदेश संख्या 1091/तीन ए-425(अधि०-2004)/08 दिनांक 10-07-2008 के अनुपालन में दिनांक 16-07-2008 को जनपद रायबरेली में पदभार ग्रहण किया। जहां से विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त कर महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आदेश संख्या 1950(1-6)/तीनए-425/08 दिनांक 04-09-2008 के अनुपालन में दिनांक 10-09-2008 को मैंने अपनी योगदान आख्या सहायक महानिरीक्षक निबन्धन हरदोई के समक्ष प्रस्तुत की तथा उनकी अनुमति के पश्चात दिनांक 10-09-2008 को ही उपनिबंधक शाहाबाद, जनपद हरदोई के पद का कार्यभार ग्रहण किया।
9. जन्म तिथि - 21.03.1979
10. सेवानिवृत्ति की तिथि - 31.03.2039

मैं यशवंत कुमार सरोज पुत्र श्री जंग बहादुर सरोज शासनादेश संख्या - 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर Yashwant Kumar Soro
31/7/24
नाम – यशवंत कुमार सरोज
पदनाम – अपर जनपद न्यायाधीश

घोषणा-पत्र

मैं यशवंत कुमार सरोज पदनाम अपर जनपद न्यायाधीश यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर Yashwant Kumar Soro
31/7/24
नाम – यशवंत कुमार सरोज
पदनाम – अपर जनपद न्यायाधीश

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री यशवंत कुमार सरोज पदनाम अपर जनपद न्यायाधीश को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति / सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की संस्तुति